

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 120/2022

प्रार्थनी	बनाम	विप्रार्थी
श्रीमती सुनितादेवी पत्नी महेशकुमार जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कोलोनी, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर, राजस्थान		1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा 2.आयुक्त नगरपरिषद बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थिति :-

1. श्री जेटाराम सिंहल,अधिवक्ता,प्रार्थनी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
3. श्री जेटूलाल कुमावत,अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 23.09.22

1.संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थनी नगरपालिका बालोतरा के पुराने खसरा संख्या 317 जिसके नया खसरा संख्या 609 आबादी भूमि पर काबिज है एवं नगरपालिका बालोतरा के द्वारा आबादी भूमि का पट्टा भी प्रार्थनी के हकपूर्वाधिकारी के नाम जारी किया हुआ है और प्रार्थनी के द्वारा जरियें रजिस्टर्ड बेचाननामा खरीद किया गया है,जो रिकॉर्ड पर पेश है,कि सेन्टलमेंट अधिकारियों ने पूर्व सेन्टलमेंट का राजस्व नक्शा खसरा संख्या 317 में त्रुटि व भूल करतें हुए सेन्टलमेंट विभाग राजस्व अधिकारियों ने गलत तरीके से प्रार्थनी की आबादी भूमि को नदी में दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थनी के हकपूर्वाधिकारी नगरपालिका बालोतरा की आबादी भूमि खसरा संख्या 609 पर काबिज था और प्रार्थनी की आबादी भूमि पर पक्की दुकाने बनी हुई है,जो कि नगरपालिका के खसरा नम्बर


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.)

609 किस्म आबादी का भाग है,लेकिन राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए प्रार्थीनी की पट्टाशुदा भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में गलत तरमीम कर दी गई। जबकि विवादित भूमि नगर परिषद बालोतरा के खसरा नम्बर 609 आबादी में है। इस प्रकार प्रार्थीनी राजस्व रेकॉर्ड में हो रखे गलत इन्द्राज को निरस्त करवाते हुए,विवादित भूमि को आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2. प्रार्थीनी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 1 व 02 की ओर से प्रार्थीनी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश किया।

3.विवादित भूमि की मौका व रेकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

4.प्रार्थीनी की ओर से अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में लिखत शपथ-पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में एनेक्चर-01 पट्टा फोटोप्रति,एनेक्चर-02 पुखराज के द्वारा श्रीमति संगीतादेवी के हक में बेचाननामा फोटोप्रति,एनेक्चर-03 श्रीमति संगीतादेवी के द्वारा प्रार्थीनी के हक में किया गया बेचाननामा फोटोप्रति,एनेक्चर-04 मौका स्थिति का नजरी नक्शा फोटोप्रति पेश की गई। साथ ही श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर निर्णय दिनांक 26.5.2016 फोटोप्रति,लूणी नदी में अतिक्रमण की सूची जो उपखण्ड कार्यालय में पेश हुई दिनांक 24.5.2014 एवं लूणी नदी अतिक्रमण की सूची दिनांक 02.8'2015 की फोटोप्रति पेश की


गई।

5.उभयपक्ष की अन्तिम बहस दिनांक 20.9.2022 को सुनी गई थी। प्रार्थीनी अधिवक्ता की ओर से लिखित कथन पेश किये,साथ ही प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस थी,कि कस्बा बालोतरा पहले खालसा गांव था,जिसका प्रथम सेटलमेंट संवत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 में हुआ था एवं तत्कालीन समय में संवत् 2012 के सेटलमेंट के राजस्व नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 317 रकबा 239.15 बीघा भूमि में आबादी बसी हुई थी एवं नदी का खसरा नम्बर 456 रकबा 480.

10 बीधा था। कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा वर्ष 1974 में पुनः सेटलमेंट किया गया व जरीब में भी परिवर्तन किया एवं पुरानी जरीब 165X165 फीट की थी एवं नई जरीब 132 फीट x 132 फीट के अनुसार रकबो का निर्धारण किया गया था। कि पुराना खसरा नम्बर 317 व 322 व अन्य खसरो को सम्मिलित करते हुए नया खसरा नम्बर 609 आबादी का बनाया गया था एवं उसका कुल रकबा 355-10 बीधा राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया, एवं राजस्व अधिकारियों के द्वारा नया राजस्व नक्शा तैयार किया गया था। राजस्व अधिकारियों के द्वारा नदी का पुराना खसरा नम्बर 456 का नया खसरा नम्बर 870 बनाया गया। पुराना खसरा नम्बर 317 व 322 पुरानी आबादी बसी हुई होने से नया खसरा नम्बर 609 बनाया गया व राजस्व अधिकारियों के द्वारा खसरा नम्बर 317 व 322 दर्शाया गया था एवं सम्पूर्ण खसरा नम्बर 317,322 को आबादी खसरा नम्बर 609 में दर्ज कर दिया गया। यह कि नदी का पुराना खसरा नम्बर 456 रकबा 480-10 बीधा का नया खसरा नम्बर 870 रकबा 185-10 बीधा(उक्त रकबा जरीब में परिवर्तन होने से कम दर्ज किया गया) दर्ज किया गया, जिसमें राजस्व अधिकारियों ने बिना किसी उचित आधारों से रकबा बढ़ा दिया गया एवं नक्शे आकृति भी बदल दी गई, विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि जरीब में परिवर्तन होने से खसरे के रकबे में परिवर्तन हो सकता है, किन्तु खसरे की आकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना संभव नहीं है। किन्तु राजस्व अधिकारियों के द्वारा नदी का पुराना खसरा नम्बर 456 व नया खसरा नम्बर 870 बनाया गया, जिसमें राजस्व अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से नदी की आकृति व



दर्शाई भी बढ़ा दी गई। संवत् 2012 का नक्शा सेटलमेंट विभाग के द्वारा तैयार किया गया था एवं वर्ष 1974 में पुनः सेटलमेंट किया गया, जिस नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संवत् 2012 के सेटलमेंट नक्शा में खसरा नम्बर 317, 322 आबादी में दर्शाई गई एवं सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा आबादी भूमि होने हुए अपनी मनमर्जी से नदी में दर्शाई गई एवं नदी की आकृति ही बदल दी गई, जिससे यह स्पष्ट होती है कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारियों की अनुमति से अपनी मनमर्जी से राजस्व नक्शा तैयार किया गया है जिससे सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया नक्शा विधि विरुद्ध, क्षेत्राधिकार विहिन है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपनी


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बिना किसी सक्षम अधिकारियों की अनुमति से राजस्व नक्शे में अपनी मनमर्जी से
किसी उचित आधारों के एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत तरीके से तैयार किये
गये हैं एवं विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि सेटलमेंट अधिकारियों को राजस्व अभिलेख में
राजस्व नक्शे में त्रुटि कराने का कोई हक व अधिकार नहीं है। कि प्रार्थनी की
पट्टासुदा, खरीद सुदा कब्जासुदा भूमि नगरपालिका, बालोतरा की आबादी भूमि खसरा नम्बर
609 की भूमि रही है। प्रार्थनी के सम्पत्ति का पट्टा कार्यालय नगरपालिका, बालोतरा द्वारा भूमि
विक्रय पत्र संख्या 00996 दिनांक 24.12.2001 को श्री पुखराज पुत्र श्री गणेशीलालजी जाति
अग्रवाल निवासी बालोतरा के हक में जारी किया गया था एवं श्री पुखराज जी के द्वारा अपने
मालिकाना के उक्त भूमि को श्रीमति संगीतादेवी पत्नी श्री झूठमलजी जाति जैन ओसवाल
निवासी बालोतरा को जरिये पंचीकृत बेचाननामा दिनांक 01.03.2007 को विक्रय की गई थी
एवं जिसे उक्त पट्टासुदा भूमि को बनी हुई दुकानों को श्रीमती सुनिता देवी पत्नी महेशकुमार
जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान से खरीद की गई। कि
प्रार्थनी की दुकाने एक लाईन में बनी हुई हैं एवं लगभग मौके पर 17-18 दुकाने बनी हुई
है, जिससे भी स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा प्रार्थनी की बनी हुई पुरानी दुकानों को
नदी में होना दर्शाया जा रहा है। कि राजस्व अधिकारियों के नये सेटलमेंट में नक्शे में दर्शाई
गई प्रार्थनी की सम्पत्ति को नदी में होना दर्शा दिया गया है, जबकि प्रार्थनी की मालिकाना व
प्रार्थनी की भूमि कभी भी नदी की भूमि नहीं रही है व न ही नदी की भूमि ही थी। बल्कि
नगरपालिका, बालोतरा के पुराना खसरा नम्बर 317,322 नया खसरा नम्बर 609 की आबादी
भूमि रही है। प्रार्थनी की दुकाने के आगे नगरपरिषद बालोतरा द्वारा सड़के बनाई हुई है और
समय समय पर सौंदर्यकरण भी करवाया जाता है, इससे भी स्पष्ट है कि आबादी भूमि होने के
कारण ही नगरपरिषद द्वारा विकास कार्य करवाया जा रहा है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है
कि प्रार्थनी पुराना सेटलमेंट के खसरा नम्बर 317,322 में पुराना कब्जा था, जो खसरा नम्बर
317, 322 जिसका नया सेटलमेंट में खसरा नम्बर 609 दर्ज किया गया। उपरोक्त तथ्यों से
यह स्पष्ट है कि प्रार्थनी के कब्जे वाली भूमि कभी भी लूणी नदी की भूमि नहीं थी व न रही
एवं न ही है। किन्तु राजस्व अधिकारियों के द्वारा अपनी मनमर्जी से बिना किसी सक्षम



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अधिकारी की अनुमति से गलत तरीके से तैयार किये गये राजस्व नक्शे से ही उक्त भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। जिससे राजस्व नक्शे को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन याचिका संख्या 544/2020 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.04.2022 में विधि अनुसार श्रीमान के समक्ष राजस्व अभिलेख को दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र एक माह की अवधि के भीतर पेश किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसकी पालना में प्रार्थीनी के द्वारा राजस्व अभिलेख नक्शे को दुरुस्त किये जाने हेतु यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश है। अपने बहस को आगे ओर जारी रखते हुए कथन किया था कि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से विवादित भूमि के हितबद्ध पक्षकारान को बिना सुनवाई के अवसर दिये आबादी भूमि होने के उपरान्त भी विवादित भूमि को गै.मु.नदी में इन्द्राज कर दी थी, जो कि सरासर गलत तथ्यों के आधार पर रेकॉर्ड इन्द्राज हुआ था। अतः प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी का मालिकाना का निर्मित परिसर को आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शे में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमाया जावे।

6. इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 की बहस थी, कि प्रार्थीनी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेंट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, प्रथम सेटलमेंट खसरा संख्या 317 में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रेकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेंट वर्ष 1967 में किया गया, तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेंट के अधिकारियों के द्वारा

जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर प्रार्थीनी का दावा किया गया था, कि सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीनी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थीनी द्वारा नगरपालिका बालोतरा में विवादित भूमि के संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर विवादित



भूखण्ड जो गैर मुगकिन नदी में होने के उपरांत भी आबादी भूमि में दर्शाते हुए पट्टा जारी किया गया। ऐसे पट्टे प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होते हैं, क्योंकि विवादित भूखण्ड आबादी भूमि में न होकर गैर मुगकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि की रेकॉर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुगकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और कथन किया था, कि राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवश मलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितवद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थीनी किसी प्रकार की सहत प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थीनी द्वारा गैर मुगकिन नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड में राजस्व अभिलेख व नक्शा लकड़ा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फ़िराक में है। जिसमें प्रार्थीनी सफलता प्राप्त करने की हकदार नहीं है क्योंकि प्रार्थीनी जिस भू-भाग पर काबिज है, गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 456 गैर मुगकिन नदी का है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 870 गैर मुगकिन नदी का है। इस प्रकार प्रार्थीनी का आवेदन-पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

7 विप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता की बहस थी, कि यह बात सही है कि खसरा संख्या 609 नगरपरिषद बालोतरा का आबादी का खसरा है, लेकिन प्रार्थीनी की ओर से अपने भूखण्ड की तरमीम दुरुस्ती करवाने की इस्तदुआ चाही गई है, जो कि राजस्व विभाग से संबधित है।

जिसमें नगरपरिषद को गलत पक्षकार बनाने के कारण प्रार्थीनी का आवेदन चलने योग्य है। नगरपरिषद द्वारा पट्टा आवेदनकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व कब्जे के आधार पर पट्टा

दिया जाता है। पट्टा आवेदन में आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र भी लिया जाता है कि उसक

द्वारा कोई तथ्य मिथ्या या गलत पाये जाने पर पट्टा स्वतःनिरस्त समझा जायेगा। प्रार्थीनी

द्वारा खसरा संख्या 609 की भूमि बताते हुए उसके सही हाने का शपथ पत्र दिया था। अपनी



जिसके नामों के आगे जो आदेश रखा हुआ है, कथन किया था कि प्रार्थीनी द्वारा राजस्व नक्शा में दुरुस्ती
विभाग से चाहे जाने के कारण नगरपालिका के विरुद्ध आवेदन खारिज करमाया जावे।

हमने नगरपालिका की बहास सुनी और बहास पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व
रेकॉर्ड में दर्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर
विचार किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीनी की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत चारा 131, 136,
आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन पत्र व अपनी बहास में मुख्य इस्तदुआ वाही गई
है कि प्रार्थीनी की विवादित भूमि/भूखण्ड नगरपालिका बालोतरा की आबादी भूमि खसरा
संख्या 609 में स्थित है, मौक की स्थिति अनुसार प्रार्थीनी के परिसर के आस-पास बने हुए
निर्मित परिसर भी नगरपालिका की आबादी भूमि में है। लेकिन प्रार्थीनी की विवादित भूमि
नगरपालिका की आबादी भूमि में जन के उपरान्त भी सेंटलमेन्ट विभाग के राजस्व अधिकारियों
द्वारा अपनी मनमर्जी तरीक से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थीनी की आबादी भूमि
का गैर मुमकिन नदी में रेकॉर्ड व तस्मीम प्रकन कर दी गई। जो आदिनाक तक गलत तरीके
से किया गया रेकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थीनी की विवादित भूमि
का आबादी भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शों में तस्मीम दुरुस्ती करवाना चाहते
हैं। जबकि प्रार्थीनी जिस भू-भाग पर काबिज है, वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर
456 किस्म गैर मुमकिन नदी का है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/भूखण्ड गैर मुमकिन
नदी के अन्दर अवस्थित है। जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि


विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेन्ट भी सन् 1967
में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व
रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड संधारण किया था। जो कि विवादित भूमि आबादी में नहीं होकर
गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है कि प्रार्थीनी विवादित
भूमि की रेकॉर्ड दुरुस्त करवाने की हकदार प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से
आदिनाक तक रेकॉर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष
से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय व तृतीय सेटलमेन्ट भी हो चुके
हैं। इतने वर्षों तक प्रार्थीनी द्वारा विवादित भूमि के नक्शा दुरुस्ती सबंधी कोई कार्यवाही नहीं



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


नहीं इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद तर्क/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थीनी की ओर से ऐसा कोई तीसरा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि नैर मुर्गाकेन नदी में न होकर नगरपालिका बालोतरा के आबादी खसरा नम्बर ४७७ में हो। प्रार्थीनी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये है, कि प्रार्थीनी की भूमि नैर मुर्गाकेन नदी में नहीं होकर आबादी भूमि में आती है, यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से सक्षम प्रदान नहीं की जा सकती है, इसको लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत का होना आवश्यक है। जहाँ तक वकील प्रार्थीनी द्वारा तर्क दिये थे कि विवादित भूमि/मुखण्ड का नगरपालिका बालोतरा द्वारा पट्टा जारी किया हुआ है, इस संबंध में अदालत को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदालत को यह तय करना है कि क्या विवादित भूमि का सञ्चालन अभिलेख/नक्शा तस्वीर दुरुस्ती योग्य है अथवा नहीं, इस संबंध में अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आवेदन पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सकें कि विवादित भूमि की तस्वीर दुरुस्ती योग्य हो। ऐसी सूत्र में प्रार्थीनी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

9 लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।


(नियंत्रण/अधीन)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23-9-2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा